भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 453**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**पंजाब में अपंजीकृत आश्रय गृह**

**453. श्री अनिल देसाईः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखण्ड के कुछ बच्चे, जो लुधियाना में एक अपंजीकृत निजी आश्रय गृह में रहते थे, लापता हो गए हैं;

(ख) क्या झारखण्ड की राज्य सरकार ने सूचना दी है कि इन बच्चों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस अपंजीकृत आश्रय गृह के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों तथा कानून का उल्‍लंघन करने वाले बच्‍चों से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम को लागू करने की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों की है। पंजाब सरकार से प्राप्‍त सूचना के अनुसार बच्‍चे गायब नहीं थे अपितु आश्रय एवं शिक्षा के प्रयोजनार्थ ‘’पकीअम मर्सी क्रॉस’’ में रह रहे थे। उक्‍त संगठन के स्‍वामी द्वारा 30 बच्‍चों को उनके माता-पिता के पास वापस भेजा गया। 4 बच्‍चो को झारखंड पुलिस अपने साथ ले गई तथा शेष 4 बच्‍चे बाल कल्‍याण समिति, बिहार को सौंपे गए जो बहाली के प्रयोजनार्थ पंजाब पुलिस द्वारा लाए गए थे। इसके अलावा बाल कल्‍याण समिति, बिहार ने इन बच्‍चों को उनके माता-पिता को सौंप दिया। ईसाई बनने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) : जेजे अधिनियम की धारा 41 बच्‍चों को रखने वाले गृहों में बच्‍चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्‍यूनतम मानक लागू करने के उद्देश्‍य से देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों को रखने वाली सभी संस्‍थाओं के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करती है। मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सभी गैर-पंजीकृत बाल देखरेख संस्‍थाओं (सीसीआई) को बंद करने का निर्देश दिया है। सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों से जेजे अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियामवली 2016 के तहत अधिदेश के अनुसार सभी सीसीआई की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए कहा गया है।

\*\*\*\*\*